



दिनांक: 27.12.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 26.12.2024 को वादी की लिखित तहरीर बाबत **अभियुक्त आसकार पुत्र तासीन निवासी ग्राम कोलकी राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत काम करने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 521/2024 धारा 65(2) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर, द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसेन सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27 12.24. को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **आसकार पुत्र तासीन निवासी ग्राम कोलकी राघड थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोलकी राघड के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

आसकार पुत्र तासीन निवासी ग्राम कोलकी राघड थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 77 अरुण कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 27.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गए 9000/- रुपये एवं 130 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 25.12.24 को वादिया ऊषा पत्नी स्व० सुरेन्द्र निवासी मौहल्ला मातागढ, थाना मण्डी की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके पर्स से 10000/- रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु०अ०सं० 491/24 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त तैय्यब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुजफ्फर हसन कालोनी पीर वाली गली कोतवाली मण्डी व हाल पता भंगी कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर को बाबालाल दास के बाडे के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 9000/- रुपये नगद (सम्बन्धित मु०अ०सं० 491/24 धारा 303(2) बीएनएस) एवं 130 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। एवं अवैध चरस बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 494/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया की मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। दिनांक 18.12.24 को एक महिला के पर्स से मैंने 10000/- रुपये चोरी कर लिये थे। जिनमें से मैंने 1000/- रुपये मैंने खर्च कर दिये। बाकि 9000/- रुपये जो पुलिस द्वारा मुझसे बरामद किये गये हैं वो उसी चोरी की घटना के हैं। पुलिस द्वारा जो मुझसे चरस बरामद की गयी है उसे मैं हरियाणा राज्य से सस्ते दाम में खरीदकर आस पास के क्षेत्रों में अधिक कीमत में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

तैय्यब पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुजफ्फर हसन कालोनी पीर वाली गली कोतवाली मण्डी व हाल पता भंगी कालोनी खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 9000/- रुपये (सम्बन्धित मु०अ०सं० 491/24 धारा 303(2) बीएनएस)
- 130ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 303/2021 धारा 414 भा०द०वि० थाना कुतुबशेर

2. मु0अ0सं0 115/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 342/2023 धारा 406/420 भा0द0वि0 थाना सरसावा
4. मु0अ0सं0 343/2023 धारा 8/21 एनडीपीएसएक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 383/2023 धारा 392/411 भाद0वि0 थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 552/2024 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 211/2024 धारा 304(2) , 317(2) बीएनएस थाना बडगांव सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का 0310 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
4. का0 1612 अंकित कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक:- 27.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 बैटरा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 23.12.2024 को वादी रईस पुत्र हनीफ निवासी बेहट रोड, हकीमपुरा, बाबर कालोनी, सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा ई-रिक्शा चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 488/24 धारा 303(2) भा0द0वि0 बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2024 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त सुशील पुत्र मेधनाथ नि0 ग्राम कच्चीगढी थाना गढीपुख्ता जिला शामली व हाल पता राम बाग बालीजी धाम के सामने थाना गंगोह जिला स0पुर को बाबालालदास रोड पर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 ई रिक्शा बैटरा (सम्बन्धित मु0अ0सं0 488/24 धारा 303(2) भा0द0वि0) बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त उपरोक्त ने पूछने पर बताया यह बैटरा मैंने व सुनील उर्फ सुशील पुत्र मेवाराम निवासी गांधी कालोनी थाना सिविल लाइन मु0नगर ने हनुमान चौक से ई रिक्शा चोरी की थी यह बैटरा उसी ई-रिक्शा का है जिसे आज मैं बेचने जा रहा था। सुनील को आपने कल ई-रिक्शा के साथ पकड लिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुशील पुत्र मेधनाथ नि0 ग्राम कच्चीगढी थाना गढीपुख्ता जिला शामली व हाल पता राम बाग बालीजी धाम के सामने थाना गंगोह जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 बैटरा (ई रिक्शा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नेरन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
3. है0का 0310 विपिन पंवार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 27.12.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250

ग्राम अवैध चरस बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करी की रोकथाम व इसमें संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर कुतुबशेर पुलिस द्वारा चैकिंग/गश्त के दौरान **अभियुक्त सारिक खच्चर पुत्र सलीम लगडा निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला ढोलीखाल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम नाजायज चरस बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त सारिक खच्चर उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 380/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा मैं रेहड़ा लगाता था बाद में नशे का आदी हो गया जिससे पैसों के लालच में चरस को आस-पास के जिलों से सस्ते दामों में लाकर अपने आस-पास के क्षेत्र में राह चलते लोगो को अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सारिक खच्चर पुत्र सलीम लगडा निवासी मौहल्ला ढोलीखाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

अभियुक्त सारिक खच्चर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 15/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 174/19 धारा 307 भादवि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 176/19 धारा 3/5/8 गौवध अधि व 11 पशू कू0 अधि0थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 196/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 222/21 धारा 147/148/307/504/506 भादवि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
6. मु00सं0 273/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 299/19 धारा 2/3 गैगैस्ट्र एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 416/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 659/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 211/19 धारा 379/411 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 221/19 धारा 307 भादवि0 थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर

12.मु0अ0सं0 222/19 धारा 25 आम्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद सहारनपुर

13.मु0अ0सं0 236/20 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर

14.मु0अ0सं0 013/23 धारा 354 भादवि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना नकुड जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 250 ग्राम नाजायज चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री असगर अली थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. का0 1808 आशीष कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
4. का0 1811 राहुल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर